ukjh&Lor=rk d lc/k e Qy d fopkj

&ehuk dkEcy

(Fule's Thought on Freedom of Woman)

जोतीराव फुले एक सच्चे सामाजिक क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता का विचार बहुत ही सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत किया। आधुनिक भारत में नारी स्वतंत्रता का आंदोलन सबसे पहले उन्होंने ही आरंभ किया था। नारियों के प्रश्नों के संबंध में राजा राममोहन रॉय से लेकर दूसरे कई समाजसुधारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और नारी की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास भी किए। लेकिन फुले ने नारी के प्रश्न भी मनुष्य की स्वतंत्रता से जोड़कर उसकी गुलामी का वास्तविक विश्लेषण किया। नारी को गुलामी में रखने वाली व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। आज नारी स्वतंत्रता का चारों ओर विचार किया जाता है, लेकिन फुले के समय में नारी स्वतंत्रता संबंधी विचारों को भारतीय समाज में मान्यता नहीं थी। क्योंकि हिंदू धर्म ने नारी को गुलाम बनाकर रखा था। इसलिए नारी स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत करना अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से हिन्दू धर्म को चुनौती देना जैसा थां इस प्रकार की बड़ी विपरीत परिस्थिति हाने के बावजूद नारी स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत करके धर्म की गुलामी से मुक्त करने के अलावा नारी को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ऐसा मौलिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किया।

विश्व में कार्ल मार्क्स के विचारों से क्रांति आयी। मार्क्स ने वर्गीय चेतना, वर्ग संघर्ष तथा वर्गविहीन समाज–व्यवस्था का विचार दिया। मार्क्स जिस समय वर्गविहीन समाज–व्यवस्था का वैचारिक स्तर पर ग्रंथालय में बैठकर विचार कर रहे थे, उसी समय जोतीराव फुले प्रत्यक्ष रूप से नारी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' (Communist Manifesto) महत्तवपूर्ण ग्रंथ 1848 में प्रकाशित हुआ, और फुले ने नारी शिक्षा के लिए पहली पाठशाला 1848 में पुणे में शुरू की थी। नारियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने सामाजिक क्रांति के कार्य की नारी शिक्षा द्वारा शुरुआत की।

tkrhjko Qy d ukjh Lor=rk lc/kh fopkj rFkk dk;

19वीं सदी में पाश्चात्य देशों में नारी स्वतंत्रता आंदोलन अभी बाल्यावस्था में ही था, तभी भारत में नारी स्वतंत्रता के आंदोलन का बीजारोपण जोतीराव फुले कर रहे थे। भारत में राजा राममोहन राय जैसे समाजसुधारक ने सतीप्रथा तथा अन्य गलत रूढी–परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी। लेकिन ये सुधारक भी नारी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर सके। क्योंकि उन पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था। फुले ने नारी–शिक्षा, केशवपन बंदी, बालविवाह विरोध इत्यादि कई प्रकार के सुधार कार्य किए, इसके साथ ही उन्होने स्वतंत्रता का विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। जोतीराव फुले ने अपने सम्पूर्ण आंदोलन में नारी की समानता की लड़ाई को शूद्र अतिशूद्रों की लड़ाई के समान ही स्थान दिया था। उनके व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयत्नों में भी नारी–स्वतंत्रता के कार्य को प्रथम स्थान प्राप्त था।

जोतीराव फुले ने यह पहचान लिया था कि जब तक हिन्दू धर्म का नारी, शूद्र–अतिशूद्र के विरोधी तत्वज्ञान को नकारा नहीं जाता, तब तक नारी, शूद्र–अतिशूद्रों की स्वतंत्रता का विचार इस देश में पनप नहीं सकेगा। इसीलिए उन्होंने हिन्दू धर्मग्रंथों तथा दर्शन का प्रबल विरोध किया। उनका 'सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक' अर्थात् नर–नारी अर्थात् मानवों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है।

i) tksrhjko Qqys dk ukjh&iq#"k lerk dk fopkj

मानव समाज के विकास के लिए नारी को पूर्ण समानता मिलनी आवश्यक है, यह विचार जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रस्तुत किया। नारी–पुरुष समान हैं, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, इस विचार से सम्पूर्ण पश्चिमी देशों में नारी स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। फुले ने सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में स्पष्ट किया कि, हम सभी के स्रष्टा ने सभी प्राणियों को पैदा किया। इनमें नारी–पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र तथा सभी अधिकारों का उपयोग करने के पात्र है।'[1] नारी–पुरुष में किसी प्रकार का भेद करना गलत है, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों एक समान हैं। पुरुष के समान ही नारी को भी स्रष्टा ने पैदा किया है। अतः नारी को निम्न स्तर का मानना ठीक नहीं है। नारी गुलाम हो ही नहीं सकती, इस प्रकार का अत्यन्त मौलिक विचार जोतीराव फुले ने प्रस्तुत किया।

उनका नारी–स्वतंत्रता का विचार दया पर आधारित नहीं था। नारी–पुरुष दोनों समान तथा स्वतंत्र हैं; इस मानवीय स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धान्त पर उनका नारी–स्वतंत्रता का विचार आधारित है, यह स्पष्ट होता है। उन्होंने नारी–पुरुषों का 'मानवीय नर–नारी' कहकर उल्लेख किया है।[2] इसी प्रकार से नारी के लिए 'मनुष्य', 'मानव' शब्दों से संबोधन करते हैं। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में उन्होंने नारी–पुरुषों का उल्लेख 'सभी मानव स्त्री–पुरुष' या 'स्त्री अथवा पुरुष' जैसे समान अर्थ से किया है। इसीलिए सुप्रसिद्ध अनुसंधानकृर्ता गेल ऑमव्हेट ने Cultural Revolt in a Colonial Society अपने ग्रंथ में यह लिखा कि, 'उनका स्त्रियों के विषय में दृष्टिकोण उनकी भाषा में व्यक्त हुआ है। उन्होंने सभी मानवी स्त्री–पुरुष ऐसा उल्लेख किया है, जो केवल मराठी में ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी की दृष्टि से भी एक नई प्रथा है।[3] नारी के लिए जोतीराव फुले ने जो समतावादी तथा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसका उल्लेख गेल ऑमव्हेट जैसी पाश्चात्य लेखिका ने किया है।

नारी–पुरुष समान तथा स्वतंत्र हैं, केवल ऐसे विचार देकर ही फुले रुके नहीं, बल्कि मानव के सम्पूर्ण विकास के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, वे सभी अधिकार नारी को मिलें, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। पुरुषों के समान ही नारी को भी सभी मानवी अधिकार है। अतः कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता । इस विषय में जोतीराव फुले ने स्पष्ट से कहा कि, ''हम सभी के निर्माता ने सभी नारी–पुरुषों को सभी मानवीय अधिकारों का मुख्य अधिकारी बनाया है। उसमें किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और उस प्रकार जोर–जबरदस्ती न करने वाले व्यक्ति को ही सत्य आचरण करने वाला कहना चाहिए।''[4]

नारी–पुरुष दोनों समान रूप से सभी मानवीय अधिकारों का उपभोग करने के अधिकारी हैं। फिर नारी को एक अलग प्रकार का नियम और लोभी, अहंकारी पुरुषों के लिए दूसरे प्रकार का नियम व्यवहार में लाना पक्षपात के अलावा और कुछ नहीं है।[5] जोतीराव फुले के ऐसे स्पष्ट विचार थे। नारी–पुरुष समान हैं, दोनों के लिए समान मानवीय अधिकार हैं, ऐसे समय पुरुष तथा नारी के लिए अलग–अलग नियम लागू करना मानवीय स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने नारी के मानवीय अधिकारों का विरोध करने वाले धर्मग्रंथों का प्रबल विरोध किया था। वे कहते हैं कि कुछ अहंकारी पुरुषों ने अपनी जाति के स्वार्थ के लिए नकली, स्वार्थपरक धर्मग्रंथ में नारी के विरोध में ऐसे स्वार्थी लेख लिखें हैं।[6] जिन धर्म ग्रंथों ने नारी को शूद्र मानकर, अनेक कठोर बन्धन लादे, उन सभी हिंदू ग्रंथों का उन्होंने जमकर विरोध किया। से सभी ग्रंथ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लिखे, इन सभी धर्मग्रंथों ने नारी के मानवीय अधिकारों को नकारा है, ऐसा उन्होंने बार–बार बताया है।

ii) tkrhjko Qy dk ukjh Lor=rk dk ?kk"k.kki=

नारी स्वतंत्र है। उसे सभी प्रकार के मानवीय अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए फुले ने नारी–पुरुषों के मानवीय अधिकरों का सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में विशेष रूप से उल्लेख किया है।[7]

1) निर्माणकर्त्ता ने सभी प्राणियों को पैदा किया है। नारी–पुरुष दोनों जन्म से ही स्वतंत्र तथा सभी अधिकारों का उपभोग करने के पात्र हैं।

2) सभी नारी–पुरुष मानवीय अधिकारों के हकदार हैं। कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो का समूह किसी पर भी बल प्रयोग नहीं कर सकता।

3) सभी नारी–पुरुषों को सभी मानवीय अधिकारों के विषय में अपने विचार तथा मतों को व्यक्त करने, लिखने तथा प्रचारित करने की स्वतंत्रता है।

4) सभी मानवों को धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है।

5) कोई भी नारी–पुरुष दूसरों की धार्मिक बातों के बारे में मतभिन्नता या राजनीतिक कारणों से उनको किसी भी तरह नीच नहीं मानना चाहिए, इसके लिए निर्माणकर्ता ने उनको समर्थ बनाया है।

7) सभी नर–नारियों को धर्म, स्थानीय और क्षेत्रीयता संबंधी हर मनुष्य की स्वतंत्रता, संपत्ति और उसके जुल्म से बचने से बचाव का हक है।

8) नर–नारियों में किसी भी प्रकार की पसन्दगी–नापसन्दगी के आधार पर उनमें अंतर न करते हुए उनके खाने–पीने और पहनावे आदि के बारे में किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार फुले ने नारी–पुरुषों के मानवीय अधिकारों के संबंध में नियम बतलाए हैं। ये नियम ही नारी स्वतंत्रता का घोषणापत्र है, ऐसा कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं।

आज नारी की गुलामी का मुख्य कारण अज्ञानता है। जिसके कारण वे अपने मानवीय अधिकारों के विषय में जागरूक नहीं हुई, ऐसा फुले का स्पष्ट मत था। वे कहते हैं कि, 'सभी नारियों को अपने मानवीय अधिकर समझ में न आएं, इस उद्देश्य से स्वार्थी पुरुषों ने बड़ी चालाकी से नारी को पढ़ने–लिखने से वंचित कर दिया। इसीलिए सभी नारियों को ऐसे जुल्म सहने पड़े। लोभी और स्वार्थी पुरुषों ने बड़ी छल कपट करके यह तय कर दिया कि, किसी भी काम में नारी जाति की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाया।[8]

जोतीराव फुले ने नारी की गुलामी का सही कारण पहचान लिया था और वह था नारी को शिक्षा का अधिकार न मिलना। इसलिए उन्होंने नारी–शिक्षा के महत्त्व को समझकर उसका समर्थन किया।

जोतीराव फूले केवल अपने देश की नारियों का ही नहीं, बल्कि सभी गांव, प्रांत, देश तथा खंड की नारियों की स्वतंत्रता का विचार करते हैं। इसी प्रकार संसार के सभी नारी–पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, उन्हें एकजुट होकर एक दूसरे के साथ सत्य आचरण करते हुए एक परिवार की तरह रहना चाहिए, ऐसा उपदेश फुले देते हैं।

सभी गांव, प्रान्त के, देश के और महाद्वीप के संबंध में या किसी भी धर्म के विचारों के संबंध में नारी–पुरुष को या सभी नारी पुरुषों को एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की पसन्दगी–नापसन्दगी का विचार न करते हुए इस धरती पर एक परिवार समझकर एकता और हार्दिक रूप से सत्य–आचरण करना चाहिए।[9] इस प्रकार सभी नारी पुरुषों ने यदि सत्य का आचरण किया होता, तो विश्व में पुलिस, जेल, न्यायाधीश और जेल के पहरेदारों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सभी जगह आनन्द ही आनन्द रहता, ऐसा फुले कहते हैं।

iii) ukjh dh egkurk

जोतीराव फुले ने नारी–स्वतंत्रता का विचार प्रभावी ढंग से रखा। इसके साथ ही उन्होंने नारी की महानता को भी स्पष्ट किया। पुरुष नारी को शूद्र, कनिष्ठ अथवा नीच मानते हैं, लेकिन जोतीराव फुले ने नारी को किसी भी बात में कनिष्ठ नहीं माना। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि नारी किस प्रकार महान है। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में बलवंतराव तथा जोतीराव का नारी तथा पुरुष संबंधी संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बलवंतराव, जोतीराव से पूछते हैं कि, ''नर–नारी में श्रेष्ठ कौन है?''

जोतीराव उत्तर देते हैं कि, ''इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ नारी है।''[10]

'स्वभाव से नारी–जाति लज्जाशील होती है। इसलिए नारी सबसे पहले एक नजर को मेलजोल करने की पहल करने का अवसर देती है और उस मेलजोल को संभोग की इच्छा रखने वाला यह धूर्त नर इतना आगे बढ़ जाता है कि अंत में नारी स्वयं ही उसको अपना मददगार राहगीर और साथी बना लेती है और वही नारी प्रकृति के नियमानुसार अपने ही बच्चों का नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के धोखेबाज ब्रह्मचारी शंकराचार्य जैसे बच्चों का भी बिना शिकायत के चुपचाप नौ माह तक दिन–रात पेट में बोझ ढोती रहती है। वही हम सभी को जन्म देने वाली है। वही हमारा मल–मूत्र साफ करके, हम सभी का पालन–पोषण कर हमारी देखभाल करने वाली है। जब हम दुर्बल और अबोध होते हैं तब वही हमारी चिन्ता करती है। और उसी ने हम सभी को बोलना तथा चलना सिखाया है। इसी कारण सभी की जुबान एक विश्व–प्रसिद्ध कहावत है कि 'सभी के उपकारों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अपनी जन्मदात्री मां के उपकारों से मुक्त असम्भव है।'[11] इसलिए जोतीराव फुले कहते हैं कि मेरे विचारों में पुरुषों की अपेक्षा नारी श्रेष्ठ है।'

नारी अपने बहन–भाइयों की प्रिय होती है। उन्हें निःस्वार्थ भाव से प्यार और समर्थन देती है। केवल इतना ही नहीं, यदि घर में, नारी ना हो तो घर में शोभा नहीं होती। नारी ही पुरुषों से अधिक प्रेम करती है, जब किसी नारी का पति मर जाता है, तो सबसे अधिक दुख उसे ही होता है। उसे ही भारी कठिनाइयां सहनी पड़ती है। विगत काल में कई औरतें सती हो जाती थीं। आगे जोतीराव फुले प्रश्न करते हैं कि, पत्नी की मृत्यु के कारण पुरुष को बहुत दुख हुआ और वह भी 'सता' हो गया हो, क्या ऐसा एक भी उदाहरण मिलेगा? उसके विपरीत पत्नी की मृत्यु के बाद, दूसरी शादी करने वाले कितने ही पुरुष मिल जाते हैं।

नारियों पर अनेक बंधन लादकर उनके साथ बहुत छल किया गया। पुरुषों को एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी करने की स्वीकृति थी। अनेक पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके, अधिक आनन्द मनाने को दो–तीन शादियां रचा लेते हैं। इससे पहली पत्नी को ईर्ष्या होती है और वह अपने पति से द्वेष करने लगती है। परिवार के कलह के लिए, पुरुष ही जिम्मेदार होता है, ऐसा जोतीराव फुले स्पष्ट करते हैं।

नारी के पुनर्विवाह पर पाबन्दी है, लेकिन पुरुष को पुनर्विवाह करने की स्वीकृति धर्म ने ही दी है। पुरुष अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी रचाते हैं। साठ–स़ार साल का बुढ्ढा सुन्दर अज्ञानी लड़की से शादी करके उसका जीवन बर्बाद कर देता है। लेकिन बाल्यावस्था में विधवा हुई लड़की को दोबारा शादी करने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए उसका बहुत बुरा परिणाम हुआ। इस विषय में फुले लिखते हैं कि 'पवित्रता' का खोखला दिखावा करने वाले भयंकर बेशर्म आर्य अपनी जवान और पंगू भौजाई बहू के यौवनावस्था में प्रवेश करते ही रात–दिन ऐसे उनके पीछा करते हैं जिससे कि स्वाभावतः उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं, परिणामतः उनको गर्भपात करके भ्रूण हत्या करनी पड़ती है।[12]

विधवा विवाह के विषय में जोतीराव फुले ने केवल विचार ही प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष विधवा–विवाह करवाए। 8 मार्च, 1860 में पूना में उन्होंने शेणवी जाति की एक विधवा का उन्हीं की जाति के विधुर के साथ पुनर्विवाह करवाया। पहले बचपन में ही शादियां हो जाती थीं, यदि भरी जवानी में नारी के पति की मृत्यु हो जाती, तो उसे सारी उम्र भर विधवा रहना पड़ता था ऐसी विधवाओं के साथ जबरदस्ती से अनैतिक संबंध बना लिए जाते थे। विधवा यदि गर्भवती हो जाती, तो आत्महत्या कर लेती थी अथवा बच्चे को जन्म देने के पश्चात् उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस वजह से कई जटिल समस्याएं पैदा हो गईं। अतः निवारणार्थ जोतीराव फुले ने एक 'बालहत्या प्रतिबन्धक गृह' की स्थापना की। इसकी जानकारी देने वाले पोस्टर पूना के घर–घर में लगवाए गए थे। उस पेास्टर में लिखा था कि, 'विधवाओं, यहां आकर गुप्तरूप से तथा सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दो। तुम अपने बच्चे को ले जाते हो अथवा यहां रखना चाहते हो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा।[13] उस बच्चे की देखभाल यह अनाथआश्रम ही करेगा। 'बालहत्या प्रतिबन्धक गृह' भारत में अपने प्रकार की पहली संस्था थी।

पूना की काशीबाई नामक एक विधवा ने बालहत्या प्रतिबन्धक गृह में एक बालक को जन्म दिया था। इस ब्राह्मण विधवा के बालक को फुले दंपत्ति ने गोद ले लिया। जिसका नाम डॉ. यशवन्त फुले था। फुले ने स्त्री स्वतंत्रता के संदर्भ में कोरे विचार ही नहीं रखे थे, बल्कि उन पर अमल भी करके दिखाया थां यह बात विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

नारियों पर क्रूर प्रथाएं मनुष्यों ने ही लादी हैं। उनकी दुर्दशा के लिए यहां का धर्म ही जिम्मेदार है। उनके अनुसार, नारी जाति को नीच समझने की उनकी परंपरा है। जिसके समर्थन में कई धूर्त ऋषियों ने धर्मशास्त्रों में कई संहिताएं–स्मृतियां रचकर पुरुषों को सबल बना दिया। इसकी वजह से उन्होंने आज तक इस घृणित नीच परंपरा को बनाए रखा है।[14]

नारी–पुरुष एक समान हैं। उन्हें मानवीय–अधिकार प्राप्त है। ऐसा होते हुए भी नारियों के लिए एक नियम तथा पुरुषों के लिए दूसरा नियम व्यवहार में लाना केवल पक्षपात ही है।[15] ऐसा पक्षपात नारियों के साथ किया गया। यह जोतीराव फुले ने स्पष्ट किया।

नारी को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिसके कारण वह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर कुछ भी नहीं सोच सकती थी। ऐसी परिस्थिति में नारियों को धर्मपरिवर्तन का अधिकार होना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विचार फुले ने प्रस्तुत किया था। निर्माता ने स्त्री–पुरुषों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है।[16] इस संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी कल्पना प्रस्तुत की है। ''किसी परिवार की एक नारी ने बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़कर इससे प्रभावित होने पर यदि वह बौद्ध धर्म को अपनाना चाहती है, तो वह अपना सकती है और उसी परिवार का उसका पति बाईबल का नया या पुराना करार (वचन) पढ़कर अपनी इच्छानुसार चाहे तो ईसाई धर्म स्वीकार कर सकता है और

उसी परिवार की उनकी लड़की कुराण पढ़कर अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म की ओर आकृष्ट हो गई, तो उसको इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी परिवार के उसके लड़के को सार्वजनिक सत्यधर्म किताब पढ़कर उसकी इच्छा यदि सार्वजनिक सत्यधर्म में हो गई, तो उसको सार्वजनिक सत्यधर्मी होना चाहिए। इन सभी माता–पिताओं तथा बाल–बच्चों को अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते समय किसी को भी किसी के धर्म से नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए।[17]

जोतीराव फुले का यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी है। पति को जो धर्म होता है, वही नारी का धर्म होता है और माता–पिता का धर्म बच्चों का धर्म होता है। भारत में धर्म परिवर्तन की सख्त मनाई थी। नारी को अपने पति के ध ार्म का ही पालन करना चाहिए, इस प्रकार के सख्त बन्धन उस पर लगाए थे। ऐसी परिस्थिति में धर्म ग्रंथ पढ़कर अपनी इच्छानुसार धर्म को स्वीकार करने का विचार जोतीराव फुले ने दिया था। फुले नारी को धर्म परिवर्तन का अधिकार देते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे धर्म को व्यक्तिगत बात मानते हैं। धर्मपरिवर्तन का अधिकार नारी को देना, फुले का बहुत क्रांतिकारी विचार है। विशेष बात यह है कि अध्ययन करके तथा सभी बातों का विचार करके ही धर्मपरिवर्तन करना चाहिए। अन्धों के समान धर्मपरिवर्तन नहीं करना चाहिए, यह महत्त्वपूर्ण बात फुले बतलाते हैं। नारी आंदोलन के दर्शन में धर्मपरिवर्तन की स्वतंत्रता का विचार नहीं दिया गया। इसीलिए नारी आंदोलनकारी विचारकों से भी जोतीराव फुले एक कदम आगे हैं।

नारी की स्वतंत्रता के रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा का फुले ने जमकर विरोध किया था। इसी प्रकार जो बातें नारी स्वतंत्रता का साथ देती हैं, उनको उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए प्राचीन काल से चली आ रही पुरुष प्रध ाान संस्कृति के स्त्री की गुलामी के विवाह के मंत्र को उन्होंने रद्द कर दिया और उसके स्थान पर वधू–वर को समझने वाली, उनकी समानता स्थापित करने वाली, वधू–वर में प्रेम, सहाकार्य, पवित्रता की जानकारी देने वाले 'मराठी' में मंगलगीत उन्होंने स्वयं लिखे और उनका प्रचार किया। नारी को समानता देने वाले विवाह बड़े पैमाने पर हों, इसके लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने विशेष प्रयास किए थे।[18] गेल ऑमव्हेट इस अनुसंध ाानकर्ती ने भी अपने ग्रंथ में सत्यशोधक विवाह समारोह में शुरू किए गए नारी–पुरुष समानता विशद करने वाले मंगलाष्टकों का उल्लेख किया है।

वधू कहती है कि, 'हम सभी नारियों के जीवन में अत्यधिक पीड़ा अथवा कष्ट है, यह तू कैसे पहचानेगा? स्वतंत्रता के अनुभव की पहचान हमें नहीं है, तू ऐसा मानेगा। इसीलिए हम नारियों को स्वतंत्रता देगा, इसकी कसम ले!'

n|Ygu ¼o/k½ % r|> fn;k ;|fi ekurk fuR;ifr] dÙkk lek/kkuh tlA
ge lHkh ukfj;k d thou e g ihMk] tkuxk r dlAA
Lor=rkuHko dh igpku ge] ugh g eu";k dkA
blhfy, vf/kdkj n ukjh dk] [kkuk iMxk dle r|>dkAA

शुभमंगल सावधान ।।2।।[19]

दुल्हन के प्रश्न का उत्तर देते हुए दूल्हा कहता है कि, 'नारियों को अधिकार दिलाने के लिए मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैं अपना सभी कुछ अर्पण करूंगा। तू अकेली मेरी पत्नी है बाकी सभी नारियों को मैं अपनी बहन मानता हूँ, ऐसा वचन मैं देता हूँ।'

nYgk % vf/kdkj fnyku] e >xMrk g] ukfj;k d fy, lnkA
[kp dh ijokg ugh e>] blls dHkh u Fkk e tnkAA
le>rk g lkjh ukjh dk cgu] r vdyh ejh fi;kA
dÙkk dk Mj eu e ej] r> dk ikyu dk opu fn;kAA

शुभमंगल सावधान ।।2।।[20]

विवाह पति–पत्नी के जीवन का महत्त्वपूर्ण प्रसंग एवं संस्कार है। इसी प्रकार पति–पत्नी दोनों ही परिवार का आधार है। परिवार के मुखिया की तानाशाही और नारियों की गुलामी सामाजिक विषमता तथा गुलामी का आधार है।[21] इस मूल आधार को तोड़े बिना परिवार में नारी–पुरुष के बीच समानता नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखकर नारी स्वतंत्रता का महत्व बतलाने वाली मंगलाष्टकों को फुले ने लिखा था उसके अनुसार सत्यशोधक समाज के लड़के–लड़कियों की शादियां करवाई।

iv) ukjh f'k{kk dk fopkj vkj dk;

नारी, शूद्र–अतिशूद्रों की गुलामी का जोतीराव फुले ने अचूक समाधान किया था। शिक्षा के अभाव और अज्ञानता के कारण ही नारी, शूद्र अतिशूद्र गुलामी का जीवन जी रहे हैं, इस बात को उन्होंने पहचान लिया था। सभी नारियों को मानवी अधिकार ना मिलें; इसीलिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा जोतीराव फुले का स्पष्ट मत था। नारियां अशिक्षित थीं, इसीलिए उन पर अन्याय, अत्याचार किए गए, इस वजह से नारी शिक्षा की आवश्यकता पर जोतीराव फुले ने बल दिया।

भारत में नारी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। इस विषय पर जोतीराव फुले तथा सदाशिव गावंडे के समक्ष मिस फॅरार ने अपना दुख व्यक्त किया था।[22] फुले को भी नारी शिक्षा का महत्त्व पता चल चुका था। इसलिए फुले ने पूना में बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में 1848 के अगस्त माह में लड़कियों के लिए पाठशाला प्रारंभ की। यह पाठशाला भारतीय व्यक्ति द्वारा शुरू की गई। भारत की पहली पाठशाला थी। फुले ने स्वयं अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई ने भी लड़कियों को पढ़ाने का काम अपने हाथ में लिया था।

जिस युग में जोतीराव फुले ने नारी–शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया एवं प्रत्यक्ष नारी शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया, वह काल नारी–शिक्षा के अनुकूल नहीं था। क्योंकि हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार, नारियों तथा शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नारी पर विश्वास नहीं किया जाता था। उसे दुष्ट, चंचल, अविचारी माना गया। नारी को यदि शिक्षा दी गई, तो वह गलत रास्ते पर जाएगी और परिवार की सुख शांति भंग हो जाएगी। लोगों के ऐसे विचार थे। नारी को शिक्षित करना अर्थात् समाज की दृष्टि से भ्रष्टाचार करना था। लड़की ने यदि शिक्षा प्राप्त की तो वह समय से पहले विधवा हो जाएगी। नारी के जूते या चप्पल पहनने को अपवित्र माना गया। यदि उसने छतरी का प्रयोग कर लिया, तो उसे पुरुषों का अपमान समझा जाता था। बुजुर्गों के सामने पत्नी का पति से बात करना को असभ्य माना जाता था। एक बार एक दंपत्ति दिन के समय बात करते हुए दिख गये, तो उस लड़के के पिता ने उन दोनों को इस अपमान के लिए पूरे दिन कमरे में बन्द रखा था। पत्नी अपने पति के साथ पलंग पर बैठ कर खाना खाए, तो इसे भी अपमानजनक बात माना जाता था। पढ़ाई करने से उसमें पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसकी बुद्धि–अनुसार चलने से सर्वनाश हो जाएगा। नारी दोषों तथा अज्ञानता की खान है। उसको पढ़ाना अर्थात् पागल के हाथ में चाकू देने के समान भयंकर है। इस प्रकार धर्म तथा सामाजिक परंपरा ने नारी जीवन को जकड़कर रखा हुआ था।[23]

नारी के लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में नारी शिक्षा का विचार करना तथा लड़कियों के लिए पाठशाला खोलना, बहुत ही कठिन बात थी। फिर भी फुले ने नारी–शिक्षा का विचार रखा। इसके कारण धर्म के ठेकेदारों ने फुले का जमकर विरोध किया था। फुले के पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी वे डगमगाए नहीं। उन्होंने नारी शिक्षा के मार्ग को भी नहीं छोड़ा।

नारी–शिक्षा के कार्य में जोतीराव फुले को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस विषय की जानकारी ना. वि. जोशी ने 'पूना शहर का वर्णन' नामक पुस्तक में दी है।[24]

''इन (पाठशाला के संबंध में) कठिनाइयों को दूर करने के लिए नारियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिलेंगे, तभी नारी शिक्षा बढ़ेगी। नारी–शिक्षा के प्रवर्तक जोतीराव गोविंदराव फुले ही थे। उन्होंने इस कार्य के लिए दुख और कष्ट सहे। कुछ दिन तक शिक्षक नहीं मिले, तो उन्होंने निःस्वार्थ भाव से स्वयं ही शिक्षक का काम किया। उनकी पाठशाला के कार्य में जो आवश्यक रूप से सहायक हो सकते थे, वे उन्हें नहीं मिलते थे। इसीलिए उनको अपनी पत्नी को सहायता के लिए आगे लाना पड़ा। उनको दो समय रोटी खाने तक की फुरसत नहीं होती थी। सारा दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता था। फिर भी उन्होंने इस जनहित के कार्य को नहीं छोड़ा। आगे चलकर लोगों के मन का डर निकला, तो सभी लड़कियां पाठशाला में आने लगीं और पाठशाला अच्छी तरह से चलने लगी।''

जोतीराव फुले ने बहुत लगन से नारी–शिक्षा का कार्य जारी रखा। जिसके कारण धीरे–धीरे लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी। उन्होंने नारी –शिक्षा पर एक समारोह फरवरी 1853 में पूना में आयोजित किया था। उस समय मेजर कॅन्डी, इ. सी. जोन्स, मिसेज जोन्स आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रा. बापू रावजी भांडे ने अंग्रेजी में ब्यौरा पढ़ने के पश्चात् अण्णा साहेब चिपलूणकर ने मराठी में भाषण दिया। यह भाषण नारी–शिक्षा के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जोतीराव फुले का नारी–शिक्षा का कार्य कितना क्रांतिकारी था।

''नारी को शिक्षित कर उनमें सुधार लाना, उन्हें उनकी योग्यतानुसार सम्मान देना तथा उनके कल्याण की ओर ध्यान देना, यह हिन्दुओं की विचारधारा के विपरीत है। केवल इतना ही नहीं, वे समझते थे कि ऐसा करने से उनका धर्म भ्रष्ट होगा। उनके मतानुसार नारी को हमेशा दास बनकर ही रहना चाहिए। उन्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सुशिक्षित नहीं होना चाहिए। धर्म के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, पुरुषों के बीच नहीं बैठना चाहिए, पुरुषों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सारांश, यह कि किसी भी बात में नारियों को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए और इस मूर्खता की पुष्टि के लिए वे नारी निंदा में लिखे गए शास्त्रों को दिखाते हुए कहते हैं कि पहले बड़े–बड़े विद्वान तथा ज्ञानी ऋषि हुए थे, उनका लिखा झूठ है, क्या? लेकिन ऐसा व्यर्थ का घमंड करने से अपने देश की दशा कितनी खराब हो गई है, यह बात उनकी समझ में नहीं आती है। उनकी नारियां अशिक्षा के कारण दुरावस्था में हैं तथा उसके कारण हमें कितने संकट सहने पड़ते है, इसे वे नहीं देखते। नारियों को किन उपायों से सुख मिलेगा और वे शिक्षित लोगों में सम्माननीय और योग्य कैसे बन पायेंगी, इसकी वे सपने में भी कल्पना नहीं करते। जो जनहितकारी लोग इस देश के कल्याण तथा सुख की चिंता करते हैं उन्हें यहां की नारियों की दशा देखकर बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि, इस देश का चहुंमुखी विकास हो। सरकार को नारियों की स्थिति की ओर अवश्य ध्यान देना होगा तथा हर प्रयास करके उन्हें शिक्षित करना होगा।''[25]

चिपलूनकर के उपरोक्त भाषण से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति फुले की नारी–शिक्षा के अनुकूल नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति को परास्त कर नारी शिक्षा का कार्य जारी रखा था।

भारत में वर्ण और जाति–व्यवस्था के कारण पुरुषों का उनकी जातिनुसार उच्चवर्णीय पुरुष तथा शूद्र–अतिशूद्र पुरुष के रूप में विभाजन हुआ था। इसी प्रकार स्त्रियों का भी उच्चवर्णीय नारियां तथा शूद–अतिशूद्र नारियों के रूप में बांटा गया था। फुले ने पुरुष अथवा नारी में वर्ण तथा जाति, धर्म अथवा देश की क्यों न हो, ऐसा फुले का विचार था। इसीलिए उन्होंने नारी शिक्षा सभी जाति–धर्म की नारियों के लिए शुरू की थी। उन्होंने महार, मातंग जैसी अछूत जातियों की लड़कियों को भी अपनी पाठशाला में प्रवेश दिया। यह अत्यंत उल्लेखनीय बात है।

नारी को केवल पढ़ने–लिखने अथवा उनकी साक्षर होने तक की शिक्षा को ही जोतीराव फुले ने सीमित नहीं किया था। शिक्षा के कारण नारी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। इसीलिए उस दृष्टि से अपनी पाठशाला में उन्होंने लड़कियों को शिक्षा दी थी। उन्होंने नारी शिक्षा का संबंध नारी की स्वतंत्रता से जोड़ा था। फुले की पाठशालाओं की लड़कियों के विचार कितने सुदृढ़ हो गए थे, यह बात एक मातंग (अछूत) जाति की मुक्ता नामक लड़की द्वारा लिखे एक निबंध से स्पष्ट होता है।

मुक्ता अपने निबंध में लिखती है, ''ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद पर केवल हमारा ही अधिकार है। हम लोग ही उसे देख सकते हैं। इससे लगता है कि धर्म ग्रंथ हमारे लिए नहीं है। यदि वेद केवल ब्राह्मणों के लिए ही हैं, तो वेदों के अनुसार व्यवहार करना भी ब्राह्मणों का धर्म होना चाहिए। हमें धार्मिक पुस्तकें देखने का अधिकार नहीं है, तो हम धर्मरहित हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं? तो हे भगवान, तेरी ओर से कौन सा धर्म आया है। इसके बारे में जरा हमें बताओ, ताकि हम सभी उसी की रीति से अनुभव लें।''

हमें तेल सिंदूर पिलाकर 'इमारतों की नींव में गाड़कर हमें नष्ट करने का क्रम चलाया था। उन दिनों महार–मातंग में से यदि कोई विद्यालय के सामने से गुजर भी जाता था, तो गुलटेकडी के मैदान में उसके सिर की गेंद बनाकर, तलवार रूपी डंडे से खेलते थे। उन दिनों राज–द्वार के सामने से गुजरने पर भी पाबंदी थी, तो फिर विद्याध्ययन की स्वतंत्रता कहां से मिलेगी? यदि किसी को पढ़ना लिखना आ गया और इस बात का पेशवा बाजीराव को पता चल गया, तो वह कहता था कि, 'ये महार–मातंग अछूत होकर भी पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें कार्यालय का काम देकर और ब्राह्मणों को बगल में धोपटी लेकर विधवाओं की हजामत करते हुए घूना पड़ेगा?' ऐसा कहकर उसे दण्ड दिया जाता था।

इस जुल्म को यदि विस्तार से लिख दूं तो मुझे रोना आ जाएगा, इस कारण भगवान ने हम पर कृपा करके उदार अंग्रेजी सरकार को यहां भेजा और हमारे दुखों का अंत हुआ। जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगी। किले की नींव में गाड़ने पर प्रतिबंध लगा, तो हमारा वंश भी बढ़ने लगा है। महार–मातंग में से यदि किसी ने पतली चादर ओढ़ली तो वे कहते हैं कि, तुम इसे चोरी करके लाए हो। ऐसी चादर को तो केवल ब्राह्मण ही ओढ़ सकता है। यदि महार–मातंग ऐसी चादर ओढ़ेंगे तो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कहकर वे उसे बांधकर मारते थे। उच्च वर्ग के लोगों की दृष्टि में अपराध किया, तो मातंग महारों का सिर काट दिया जाता था, पर अब यह प्रथा बंद हो गई है। जुल्मी बेगार प्रथा बन्द हो गई है। शरीर का स्पर्श अथवा छूआछूत कही–कहीं बन्द हो चुकी है। गुलटेकडी के बाजार में घूमने की छूट मिल गई है।[26]

मातंग जाति की चौदह वर्षीय लड़की द्वारा लिखे इस निबंध से यह सिद्ध होता है कि शिक्षा के कारण उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। वह भी फुले के समान ही अपने विचार रखती है। विषमता मानने वाले धर्म का निषेध करती है और सामाजिक परिवर्तन पर विचार रखती है। संभवतः यह निबंध अछूत समाज की किसी लड़की का पहला निबंध था। उस लड़की के इस निबंध के संबंध में सुनकर 'ज्ञानोदय' पत्र ने लिखा कि, ''राजश्री जोतीबा माली,

पूना की अतिशूद्रों की पाठशाला के संस्थापक ने इस लड़की के द्वारा हमारे सामने पढ़वाया उस समय राजश्री जोतिबा द्वारा अंतःकरण से किए परिश्रम का फल हमारे सामने दिखलाई दिया।''[27] इससे फुले द्वारा नारी–शिक्षा के संदर्भ में किए गए क्रांतिकारी कार्यों की कल्पना स्पष्ट होती है। नारी–शिक्षा को केवल कल्पना की बात न मानकर, उन्होंने उसे मूर्तरूप देने हेतु कठोर परिश्रम किया था।

v½ ukjh Lor=rk&vkanksyu d i.krk lkfr % tkrhjko Qy

नारी–पुरुष जन्म से ही समान है। पुरुषों के समान ही नारियों को भी मानवीय अधिकार मिलने चाहिए। ब्राह्मणी धर्मग्रंथों ने नारी को गुलाम बनाया। नारी को गुलाम बनाने वाले ये सभी धर्मग्रंथ झूठे हैं। इसीलिए नारी को मानवीय अधिकार मिलने चाहिए। नारी पर लादे गए बंधन अमानवीय हैं। नारी को धार्मिक, सामाजिक गुलामी से मुक्ति पानी हो तो उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा के बिना उसका मानसिक, बौद्धिक विकास नहीं होगा। इस प्रकार नारी–स्वतंत्रता के संदर्भ में अत्यंत मौलिक विचार जोतीराव फुले ने प्रस्तुत किए थे।

जोतीराव फुले केवल नारी स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत करके ही नहीं थमे, बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नारी–शिक्षा का कार्य भी किया। इसके लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। विधवा, बाल विवाह, केशवपन, परदा–पद्धति, भ्रूणहत्या, बहुपत्नी प्रथा आदि अमानुषी प्रथाओं के कारण भारतीय नारी की दुर्दशा गुलाम से भी बदतर थी। इन सभी प्रथाओं का उन्होंने जमकर विरोध किया। विधवा विवाह, बालहत्या प्रतिबंधक गृह आदि अनेक नारी सुधार के संदर्भ में उन्होंने कार्य शुरू किए। नारी–पुरूष समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।

जोतीराव फुले ने नारी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत स्वयं अपने घर से ही की थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दी थी। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जोतीराव फुले भारतीय नारी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता थे। फुले के भारतीय नारी–स्वतंत्रता से सम्बन्धित विचार क्रांतिकारी थे। लेकिन आज के परिवर्तनवादी आंदोलन ने फुले के नारी स्वतंत्रता के विचारों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। जब इस देश का नारी–आंदोलन नारी–स्वतंत्रता विचारों को स्वीकार करके कार्य करेगा, तभी सही अर्थों में वह नारी–स्वतंत्रता का आन्दोलन बन सकेगा।

lnHk

1) सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक–महात्मा फुले : समग्र वाड्मय 1991, पृ. 498

2) अखंडादि काव्यरचना–महात्मा फुले : समग्र वाड्मय 1991, पृ. 538

3) गेल ऑमव्हेट–Cultural Revolt in a Coloial society मराठी अनुवाद, अनुवादक पी.डी. दिघे, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 1995. पृ. 87

4) सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक–महात्मा फुलेः समग्र वाड्मय 1991, पृ. 498

5) वही, पृ. 450

6) वही, पृ 450

7) वही, पृ 498, 499, 501

8) वही, पृ 447

9) वही, पृ 503, 504

10) वही, पृ 446
11) वही, पृ 466
12) वही, पृ 448, 449
13) धनंजय कीर, म. जोतीराव फुले, पॉप्युलर प्रकायान, मुम्बई 1996, पृ. 98
14) सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक–महात्मा फुले : समग्र वाड्मय 1991, पृ. 499
15) वही, पृ 450
16) वही, पृ 498
17) वही, पृ 504
18) प्रभाकर वैद्य–महात्मा फुले और उनकी परंपरा, लोकवाड्मय गृह, मुम्बई, 1982, पृ. 171
19) सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक–महात्मा फुले : समग्र वाड्मय, 1991, पृ 416
20) वही, पृ 510
21) प्रभाकर वैद्य–महात्मा फुले ओर उनकी परम्परा, लोवाड्मय गृह, मुम्बई 1982, पृ. 171
22) धनंजय कीर, म. जोतीराव फुले, पॉप्युलर प्रकाशन, मुम्बई, 1996, पृ. 28
23) वही, पृ 29, 30
24) ना. वि. जोशी–पुणे शहर का वर्णन (म. फुले गौरवग्रंथ से रा.ना. चव्हाण इनके लेख से पृ. 440)
25) फुले : समग्र वाड्मय –म. फुले ने पूना में शुरू की गई पाठशाला संबंधी के कागदपत्र 1991, पृ. 621, 622
26) न. वि जोशी–पुणे शहर का वर्णन, परिशिष्ठ 2 रे (महात्मा जोतीराव फुले, लेखक–धनंजय कीर से पृ. 47, 48)
27) ज्ञानोदय, 15 फरवरी, 1855, (महात्मा जोतीराव फुले लेखक–धनंजय कीर से पृ. 47, 48)